

(11)

Attachment- 1.6

FORM-I
(For Linear Projects)
Government Of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

Dated- 25/02/2019

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.4165 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Rural Development Department, Uttarakhand for Construction of Lambagar (Nailbend) To Jhumakhet (One settlement-Kusrani Malli) Link Motor Road under PMGSY in Chamoli district** falls within jurisdiction of village **Kusrani Malli in Gairsain Tehsil**.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.4165 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

प्रभागीय वन्यजीव प्रभाग
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

Signature

Name: Swati Bhattoraya (IAS)

जिला अधिकारी
चमोली

Office of the District Collector,

District-Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of **Swati S Badhoriya (IAS)**, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on dated... .. At Chamoli in which the application claiming rights in **Kusrani Malli village in Gairsain Tehsil**, area measuring **2.417 Hectares** for the **Construction of Lambagar (Nailbend) To Jhumakhet (one settlement-kusrani Malli) Link Motor Road under PMGSY in Chamoli** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Gairsain Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.


Divisional Forest Officer
Kedamath Wildlife Division
Gopeshwar


District Social Welfare Officer
Chamoli


जिला अधिकारी
District Magistrate - cum -
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-17 के अन्तर्गत लामबगड (नेलबैण्ड) से झूमाखेत (कुसरानी) लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी,
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- गैरसैण

उपखण्ड गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लामबगड (नेलबैण्ड) से झूमाखेत (कुसरानी) लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कुल 1.156 है0 नाप भूमि(0.968 है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा 0.188 है0 डम्पिंग जोन हेतु), कुल 2.417 है0 आरक्षित वन भूमि (2.183 है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा 0.234 है0 डम्पिंग जोन हेतु) तथा कुल 2.417 है0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 2.417 है0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील- गैरसैण) की दिनांक 22/02/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उपजिलाधिकारी, एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

1	श्री मेघ मीठा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	श्री हरीश नेगी	वन क्षेत्राधिकारी	सदस्य
3	श्री शोबन लाल	उपखण्ड वि अधिकारी	सदस्य/सचिव
4	श्री ध्यान सिंह	सदस्य क्षेत्र पंचायत	सदस्य
5	श्रीमती राधा बिष्ट	सदस्य क्षेत्र पंचायत	सदस्य
6	श्रीमती मुन्नी बिष्ट	सदस्य क्षेत्र पंचायत (झूमाखेत)	सदस्य
7	श्री		सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि लामबगड (नेलबैण्ड) से झूमाखेत (कुसरानी) लिंक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.417 भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमशः.....2

परियोजना का नाम:-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-17 के अन्तर्गत लामबगड (नेलबैण्ड) से झूमाखेत (कुसरानी) लिंक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

दिनांक...22/02/19 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

जनपद-चमोली।

1	सुश्री नैडा मीणा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष उप जिला अधिकारी
2	श्री श्री दशिश नैगी	उपप्रभाम्नीय वन अधिकारी वन क्षेत्राधिकारी	सदस्य गैरसैण (चमोली) वन क्षेत्राधिकारी
3	श्री सोपेन जाल्य	संरक्षक फो	सदस्य/सचिव सहायक उप जिला अधिकारी
4	श्री ध्यान सिंह	सदस्य क्षेत्र पंचायत मेढनगौरी	सदस्य सहायक उप जिला अधिकारी
5	श्रीमती राधा बिष्ट	सदस्य क्षेत्र पंचायत नैणी	सदस्य सहायक उप जिला अधिकारी
6	श्रीमती मुन्नी बिष्ट	सदस्य क्षेत्र पंचायत (झमाखेत)	सदस्य सहायक उप जिला अधिकारी
7	श्री		सदस्य सहायक उप जिला अधिकारी

सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी श्री हरीश नेगी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

लामबगड (नेलबैण्ड) से झूमाखेत (कुसरानी) लिंक मोटर लिंक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.417 है० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रतयावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

ch Patewari

उप जिला अधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-गैरसैण
जनपद-चमोली

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिला अधिकारी

उप जिला अधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- गैरसैण
जनपद-चमोली

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XIII के अन्तर्गत
लामबगड (नैल बैण्ड) से झूमाखेत (लिंक कुशरानी मल्ली)
मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -कुशरानी मल्ली
तहसील-गैरसैण, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद -चमोली के अन्तर्गत - लामबगड (नैल बैण्ड) से झूमाखेत (लिंक
कुशरानी मल्ली) मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (2.4165 हे0 आरक्षित
वन भूमि, — हे0 सिविल सोयम भूमि-भाऊन्य-हे0, वन पंचायत भूमि — हे0)
अर्थात् कुल 2.417 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास-विभाग/संस्था के पक्ष में भारत
सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायतों कुशरानी मल्ली द्वारा दिनांक 11-10-2017 को
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में
अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006
के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि
कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी
भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त
परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं
हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया
कि ग्राम लामबगड (नैल बैण्ड) से झूमाखेत (लिंक कुशरानी मल्ली) के ग्रामवासियों को
उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ह०/-

04/07/2018
ग्राम पंचायत कुशरानी मल्ली
ग्राम सचिव
मुहर सहित
वि.ख. - गैरसैण (चमोली)

ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित

दिनांक 11/10/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत कुशरानी मल्ली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	बरतावर सिंह	बरतावर सिंह
2-	नेदार सिंह	नेदार सिंह
3-	रामा सिंह	रामा सिंह
4-	ध्यानी सिंह डा. नीलकण्ठ सिंह	ध्यानी सिंह
5-	सीर सिंह	सीर सिंह
6-	जानकी देवी	जानकी देवी
7-	मोहन सिंह	मोहन सिंह
8-	नारायण सिंह	नारायण सिंह
9-	किशन सिंह	किशन सिंह
10-	बरतावर सिंह	बरतावर सिंह
11-	बिजया सिंह	बिजया सिंह
12-	कमला देवी	कमला देवी
13-	सुन्दरी देवी	सुन्दरी देवी
14-	कस्तुरी देवी	कस्तुरी देवी
15-	विमला देवी	विमला देवी
16-	सुला देवी	सुला देवी
17-	खीम सिंह	खीम सिंह मैगी
18-	मोहन सिंह	मोहन सिंह
19-	कुंवर सिंह	कुंवर सिंह
20-	शिवराज सिंह	शिवराज सिंह
21-	कलम सिंह	कलम सिंह
22-	जय सिंह	जय सिंह

23-	राजे-प्रसिंह	रंजि-प्रसिंह
24-	नारायणसिंह S/O हरकिसिंह	नारायणसिंह
25-	ध्यानसिंह	ध्यानसिंह
26-	कौशी देवी	कौशी देवी
27-	मोहनसिंह	मोहनसिंह
28-	हिरासिंह	हिरासिंह
29-	शिवसिंह	शिवसिंह
30-	नारायणसिंह S/O महे-प्रसिंह	नारायणसिंह
31-	गबरसिंह	गबरसिंह
32-	वलव-नसिंह	वलव-नसिंह
33-	गंगासिंह	गंगासिंह
34-	ध्यानसिंह S/O हिलोकसिंह	ध्यानसिंह
35-	राजे-प्रसिंह	राजे-प्रसिंह
36-	शिवसिंह S/O बरलावारीसिंह	शिवसिंह
37-	ध्यानसिंह	ध्यानसिंह
38-	जानकी देवी	जानकी देवी
39-	रमावती देवी	रमावती देवी
40-	कीर्ण देवी	कीर्ण देवी
41-	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
42-	भदरी देवी	भदरी देवी

